राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 118/2021

उनवान

माया देवी पुत्री परताराम पत्नी शंकरलाल उम्र 40 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी मनोरकावाली तन दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना हाल निवासी गोपालपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

——————अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र कुशलाराम
2. प्रभु पुत्र कुशलाराम
3. हनुमान पुत्र कुशलाराम

समस्त जाति जाट निवासी ढ़ाणी बागवाली तन दिवराला तह. श्रीमाधोपर,

4. सुरजी देवी पुत्र जगन्नाथ,
5. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ,
6. बिडदी देवी पत्नी प्रहलाद,

समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी बागवाली तन दिवराला तह. श्रीमाधोपर,

7. मालीराम पुत्र नानूराम,
8. गणपत पुत्र मांगूराम,
9. गोपाल पुत्र मांगूराम,
10. महावीर पुत्र मांगूराम,
11. बन्ना पुत्र मांगूराम,

समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणी देवजी वाली तन दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर,

———— रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी सं. 01 ता 11

12. परताराम पुत्र नारायण राम निवासी
13. कैलाश पुत्र परताराम
14. अशोक पुत्र परताराम

समस्त जाति यादव निवासी ढ़ाणीगण ढ़ाणी देवजी वाली तन दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीम का थाना

———————रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय [illegible] मुकदमा नम्बर 2/2020 उनवानी श्योनारा[illegible] परताराम न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी महिपाल सिंह राजावत, आर.टी.एस. अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

उपस्थितः– श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट ———— अपीलान्टस
श्री मनीराम जाखड़ —————रेस्पोडेन्ट

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट इसप्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 1 ता लगायत 11 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया। भूमि खसरा नं. 1479 से 1481, 1499, 1500, 1502 से 1505, 1509, 1510, 1515 ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर में सह काश्तकार है। 1 ता 11 की भूमि में आने–जाने के एक मात्र रास्ता भूमि खसरा नं. 1614 से होकर है। आगे खसरा नं. 1630 से होकर खसरा नं. 1500 तक जाता है। खसरा नं. 1630 में रास्ता करीब आधा भाग उत्तर से दक्षिण में नक्शा में दर्ज है। वादी संख्या 1 ता 11 आने–जाने का सुखा अधिकार है। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने रास्ता को छड़ीया गाड़कर कर बन्द कर दिया उसे खुलवाने कि कृपा करें। आवेदन पत्र सं. 02/2020 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। प्रकरण में बहस सुनकर न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा दिनांक 24.08.2020 को निर्णय किया जाकर आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया। निर्णय दिनांक 24.08.2020 विधि विरूद्ध तथा विरूद्ध पत्रावली होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 16.06.2020 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि गई। न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया एवं निर्णय पारित कर दिया।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्योनारायण प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार था। वाद संख्या 153/1991 उनवानी भंवरसिंह बनाम परता में न्यायालय एम.जे.एम. श्रीमाधोपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2004 को पारित किया जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को जानकारी थी। न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक, श्रीमाधोपुर में वाद/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है। आवेदन में अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर रखा है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया। इस लिए चुनौतीग्रस्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने प्रार्थना–पत्र में मौके पर आवागमन बताया गया है। यह रास्ता कभी नहीं रहा है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2020 निरस्त फरमाया जावें।

नीम का थाना नव सृजित जिला बनने पर उक्त पत्रावली इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के यहां से प्राप्त हुई है। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरीये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री मनीराम जाखड उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट की ओर से जरिये वकील दस्तावेजात की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये एवं अपीलान्ट द्वारा भी जरिये वकील दस्तावेज पेश किये गये।

वकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गई दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया की मौके पर रास्ता चालू है। जिसके पश्चात प्रशासन गाँवों के संघ अभियान में रास्ता कायम किया गया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर छड़ी डालकर अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया जबकि वहां पर कभी कोई रास्ता था ही नहीं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता होने के बावजूद भी नया रास्ता कायम किया गया है जो विधि विरूद्ध है। इसलिए मौके पर जो रास्ता होते हुये भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को परेशान करने की गर्ज से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.08.2020 को आदेश पारित किया गया है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश 24.08.2020 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बताया कि मौके पर पहले से ही प्रचलित रास्ता था। जिसको अप्रार्थी परताराम वगै. छड़ीयां डालकर बन्द कर दिया गया था जिससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी श्योनारायण वगै. अपनी भूमि आने–जाने में काफी परेशानी होने लगी रास्ते खुलवाने के लिए कहा गया परन्तु मना कर दिया गया। प्रार्थी का काफी परेशान होने पश्चात न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसकी जाँच हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी एवं रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रकरण की सुनवाई की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.08.2020 को न्यायिक सिद्धान्तों के तहत निर्णय पारित कर अवरूद्ध रास्ते को खुलवाया। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को बार–बार परेशान करते है एवं मौके पर पूर्व से प्रचलित रास्ता होने की बात पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.08.2020 को पारित आदेश बहाल रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 में दिनांक 24.08.2020 को जो आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उस आदेश को न्यायालय हाजा में चुनौती दी गई है। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसमें अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं था अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है एवं इसी के साथ रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह है कि पूर्व से प्रचलित रास्ता मौजूद था। जिसको अप्रार्थी परताराम वगै. द्वारा छड़ी डालकर बन्द कर दिया एवं अवरूद्ध कर दिया गया जिसे खुलवाने का निवेदन किया।

इसप्रकार दोनो के कथन आपस में विरोधाभाषी है। न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी श्योनारायण वगै. द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवरूद्ध किये गये रास्ते खुलवाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों कि जाँच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का को आदेश देकर रिपोर्ट प्राप्त कि गई। मुताबिक आदेश के पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.06.2020 को मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कि एवं मौके पर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर भी करवाये गये। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार यह बिन्दू तो स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मौके पर पूर्व से प्रचलित रास्ता कायम था जिसको परताराम द्वारा अवरूद्ध किया गया है इस रिपोर्ट से रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के कथन कि पुष्टि होती है। अपीलान्ट इस बिन्दू को (मौके पर प्रचलित रास्ता) साबित करने में असफल रहा है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी हुआ है। जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में शामिल है।

इससे यह कथन सामने आता है कि अगर मौके पर रास्ता नहीं था तो अवरूद्ध किसे किया गया क्योंकि रास्ता हो तब ही अवरूद्ध किये जाने का प्रश्न उठता है। इसलिए अवरूद्ध रास्ते कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। पटवारी हल्का कि रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण को दर्ज कर सुनवाई कि गई एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का घहनता से अवलोकन किया गया एवं दिनांक 24.08.2020 को रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी श्योनारायण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्त के तहत किया गया है जिसमें कोई त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2020 को विधि पूर्वक सही प्रतीत होने से इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नं. 02/2020 उनवानी श्योनारायण बनाम परताराम में दिनांक 24.08.2020 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता हुआ अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

उक्त आदेश आज दिनांक 22/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना